

27/06/19

पत्रावली पेश हुई। वकील बसकराम उच्च
जिज्जिदार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च
न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय
दि. 16-05-2017 एवं इस न्यायालय की
तत्संबंध में जारी दि. 14-07-2017
की पालना में पृथक से इतराय शा. पत्र
पेश किया गया है, जिसमें पालनार्थ
तहसीलदार कि. तेजवाल को तहरीर जारी
की गयी है। अतः इतराय शा. पत्र में
माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर पीठ
द्वारा पारित अत आदेश की पालना हेतु
आदेश दिये जाने से इस पत्रावली में
अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से
पत्रावली में निरुत्थाहित की जाती है। पत्रावली
फैसला सुनार लेकर वीवर से कम होकर
सांकेतिक दफ्तर है।

नायक कलक्टर

साँभार लेक